भारत सरकार वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग केन्द्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो कार्यालय उप नारकोटिक्स आयुक्त, 'नारकोटिक्स हाऊस', नीमच (म.प्र.)458441	सत्यमेव जयते	Government of India Ministry of Finance, Department of Revenue Central Bureau of Narcotics O/o the Deputy Narcotics Commissioner, "Narcotics House", Neemuch (M.P.) 458 441
EPABX: (07423) 223030		E-mail: supdt-neemuch@cbn.nic.in
F.No.I(22)16/Adm./Vehicle Auction/2021-		Dated : 18.11.2021

:: नीलामी की सूचना ::

विषयः–निष्प्रयोजित घोषित वाहनों के निस्तारण के संबंध में।

कार्यालय उप नारकोटिक्स आयुक्त, नीमच द्वारा केन्द्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो की म.प्र. इकाई के निवारक एवं आसूचना प्रकोष्ठ, इंदौर के निष्प्रयोजित पड़े 3 ''दो पहिया'' वाहनों के निस्तारण हेतु ''जो जंहा है वही'' के आधार पर नीलामी प्रस्तावित की जा रही है। नीलामी हेतु प्रस्तावित वाहनों का विवरण निम्नानुसार हैः–

S.No.	Registration No.	Make & Model	Stationed at
1.	MP-09-4287	Bullet, 1989	O/o the Superintendent (Prev.), Preventive & Intelligence Cell, 3rd Floor, Wing 'A', CGO Complex, **Indore (M.P.)**-452001 Ph. No. (0731)-2923200
2.	MP-09-JG-5493	Yamaha RX-100, 1998	
3.	MP-07-4285	Yamaha RX-100, 1993	

2. उक्त सभी वाहनों को सक्षम अधिकारी द्वारा निष्प्रयोजित घोषित किया जा चुका है व वाहनों का मूल्यांकन लोक निर्माण विभाग, इंदौर द्वारा कर वाहनों का आरक्षित मूल्य निर्धारित किया गया हैं, जो कि नीलामी सूचना के नियम व शर्तों के बिन्दु क्रमांक XVI में प्रत्येक वाहन हेतु अलग–अलग दर्शाया गया हैं।

3. उक्त सभी वाहनों हेतु **अलग–अलग सीलबंद** किए गये कोटेशनों को निम्नलिखित नियमों और शर्तों के अनुसार प्रत्येक वाहन के निस्तारण हेतु आमंत्रित किया जाता है। इस हेतु व्यक्ति/फर्म, जो कि उक्त वाहन/वाहनों को खरीदने में रूचि रखता है, को उच्चतम दर के अनुसार कोटेशन सील बंद लिफाफे में कार्यालय उपनारकोटिक्स आयुक्त, नीमच में दिनांक 08.12.2021 को 13:00 बजे से पहले जमा करना होगा।

4. उक्त संबंध में प्रस्तुत सीलबंद कोटेशन के लिफाफे पर साफ शब्दो में लिखा होना आवश्यक है कि "QUOTATION FOR PURCHASE OF CONDEMNED VEHICLE (Make & Model)"। प्राप्त सभी कोटेशनो को कार्यालय की समिति द्वारा निर्धारित दिनांक 08.12.2021 को 15:00 बजे खोला जाएगा एवं कोटेशन में उच्चतम दर देने वाले व्यक्ति/फर्म को सफल बोलीदाता माना जाएगा। यदि बोलीदाता अथवा बोलीदाता के प्रतिनिधि चाहे तो कोटेशन खोलने के समय उपस्थित रह सकते हैं।

5. उक्त तीनों वाहन क्रमांक 1 से 3 तक दिनांक 18.11.2021 से 07.12.2021 तक (शनिवार एव रविवार के अलावा) सुबह 11:00 बजे से शाम 03:00 बजे तक निरीक्षण के लिए कार्यालय अधीक्षक (निवारक), निवारक एवं आसूचना प्रकोष्ठ, तृतीय तल, विंग 'ए', सी.जी.ओ., भवन इंदौर (म.प्र.)–452001 टेलीफोन नं. 0731–2923200 के परिसर में उपलब्ध रहेंगे।

वाहनों की नीलामी की कार्यवाही हेतु नियम व शर्ते

i. वाहनों की नीलामी ''जो जंहा है वही'' के आधार पर एक–एक वाहन के रूप में की जाएगी, न कि सभी वाहनों की एक ग्रुप के रूप में। अतः प्रत्येक बोलीदाता को प्रत्येक वाहन हेतु अलग अलग सीलबंद किए गये कोटेशन जमा कराने होंगे।

ii. नीलामी की प्रक्रिया में शामिल होने के लिए बोलीदाता को प्रत्येक वाहन के लिए रू. 1,000/– (एक हजार रू. मात्र) की सुरक्षा जमा राशि (Earnest Money Deposit), खातेदार के रूप में "D.D.O. CBN, Neemuch" के पक्ष में आहरित डिमांड ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक संबंधित वाहन के कोटेशन के साथ ही जमा करानी होगी।

iii. बिना सुरक्षा जमा राशि डिमांड ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक (Earnest Money Deposit) के दिये जाने वाले कोटेशन पर विचार नही कर उसे खारिज कर दिया जाएगा।

iv. प्राप्त सभी कोटेशनों को समिति द्वारा निर्धारित दिनांक 08.12.2021 को 15:00 बजे खोला जाएगा एवं कोटेशन में उच्चतम दर देने वाले व्यक्ति/फर्म को सफल बोलीदाता माना जाएगा। यदि बोलीदाता अथवा बोलीदाता के प्रतिनिधि चाहे तो कोटेशन खोलने के समय उपस्थित रह सकते हैं।

v. सफल बोलीदाता को बोली स्वीकृति के 3 कार्य दिवसों के भीतर "Deputy Narcotics Commissioner, Neemuch" के पक्ष में नकद/आहरित डिमांड ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक के माध्यम से बोली राशि जमा करने की आवश्कता होगी।

vi. सफल बोलीदाता की सुरक्षा जमा राशि (Earnest Money Deposit) को नीलामी संबंधी सम्पूर्ण कार्यवाही पूरी होने के बाद ही रिलीज किया जाएगा। सुरक्षा जमा राशि (Earnest Money Deposit) को बोली राशि के रूप में समायोजित नही किया जा सकेगा, एवं नीलामी में अनियमितता पर सुरक्षा जमा राशि (Earnest Money Deposit) को जब्त कर लिया जाएगा। यदि सफल बोलीदाता द्वारा बोली राशि जमा नही कराई जाती है तो संबंधित वाहन हेतु उच्चतम बोली से कम व आरक्षित मूल्य से अधिक राशि के बोलीदाता को मौका दिया जा सकता है। ऐसा नही होने पर नीलामी प्रक्रिया पूर्ण रूप से पुनः शुरू की जाएगी।

vii. सफल बोलीदाता द्वारा आवासीय पते के संबंध में कागजी रूप में साक्ष्य (बोलीदाता, व्यक्ति होने की दशा में पेन कार्ड, आधार कार्ड आदि व बोलीदाता, फर्म हाने की दशा में रजिस्ट्रेशन प्रमाण–पत्र आदि) प्रस्तुत करने पर ही नीलाम किए गए वाहन को ले जाने की अनुमति होगी।

viii. सफल बोलीदाता द्वारा बोली राशि जमा कराने के 2 दिवस के भीतर ही नीलामी के तहत प्राप्त किए गए वाहन को स्वयं के खर्चे पर ले जाना होगा।

ix. नीलामी के तहत विक्रय किए गए वाहन के लिए विभाग द्वारा उसकी योग्यता व गुणवत्ता की कोई गारंटी नही दी जाएगी।

x. वाहन की बिक्री के पश्चात्त वाहन का वाणिज्यिक या अन्य उपयोग करने के लिए वाहन के हस्तातंरण और अन्य किसी दायित्व के लिए विभाग की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

xi. सफल बोलीदाता प्राप्त किये गए वाहनों के पंजीकरण प्रमाण–पत्र और आर.टी.ओ द्वारा आवश्यक अन्य किसी दस्तावेज प्राप्त करने हेतु स्वयं जिम्मेदार होगा व इसके लिए आवश्यक खर्चे भी स्वयं उसके द्वारा ही वहन किए जाएगें। यह कार्यालय इस संबंध में उसकी ओर से किसी भी चूक के लिए जिम्मेदार नहीं होगा।

xii. यदि सफल बोलीदाता वाहन को स्क्रेप के रूप में उपयोग में लेना चाहता है तो उसे चेचिस नंबर वाले पार्ट को काटकर इस कार्यालय में जमा कराना होगा।

xiii. बोलीदाताओं द्वारा अपनी बोली वापस नही ली जा सकती है और यदि वे ऐसा करते है, तो उनकी सुरक्षा जमा राशि जब्त कर ली जाएगी।

xiv. श्रीमान उप नारकोटिक्स आयुक्त, केन्द्रीय नारकोटिक्स ब्यूरों, नीमच कोई भी कारण बताए बिना किसी भी समय इस निविदा को रद्द करने, किसी भी कोटेशन को अस्वीकार करने या निविदा दस्तावेज में निहित किसी भी नियम व शर्तों में संशोधन/हटाने का अधिकार सुरक्षित रखते है।

xv. नीलामी हेतु उपलब्ध वाहनों की बोली हेतु कोटेशन भेजने का प्रोफार्मा **अनुलग्नक "क"** के रूप में संलग्न है।

xvi. प्रत्येक वाहन की बोली हेतु इस विभाग द्वारा निर्धारित आरक्षित मूल्य निम्नानुसार होगाः—

S.No.	Registration No.	Make & Model	Reserve price(आरक्षित मूल्य)
1.	MP-09-4287	Bullet, 1989	Rs. 19,500/-
2.	MP-09-JG-5493	Yamaha RX-100, 1998	Rs. 9,500/-
3.	MP-07-4285	Yamaha RX-100, 1993	Rs. 9,600/-

18/11/2021
(एस. सी. रजवानियाँ)
सहायक नारकोटिक्स आयुक्त,

प्रतिलिपिः—

1. श्रीमान नारकोटिक्स आयुक्त महोदय, केन्द्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो, 19, माल रोड़, मुरार, ग्वालियर (म.प्र.) —474006 को सूचनार्थ प्रेषित।
2. श्री सेल्वा मुरूगन, अधीक्षक, केन्द्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो, 19, माल रोड़, मुरार, ग्वालियर (म.प्र.)—474006 को विभागीय साईट पर प्रसारित करने के आशय से प्रेषित।
3. कार्यालय अधीक्षक (निवारक), निवारक एवं आसूचना प्रकोष्ठ, इंदौर को उनके पत्र फा.सं. I(19)3PCI/7/CondemnedVehicle/2020-28 दिनांक 31.01.2021 के संदर्भ में प्रेषित कर इस नीलामी सूचना के बिन्दु क्रमांक 5 के संदर्भ में अनुपालनार्थ एवं कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, इंदौर (म.प्र.) एवं कार्यालय कार्यपालक अभियंता, लोक निर्माण विभाग (विद्युत एंव यांत्रिकी), संभाग इंदौर (म.प्र.) के नोटिस बोर्ड पर नीलामी सूचना को चस्पा किया जाना सुनिश्चित करने हेतु प्रेषित है।
4. श्रीमान क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, इंदौर (म.प्र.) एवं श्रीमान कार्यपालक अभियंता, लोक निर्माण विभाग (विद्युत एंव यांत्रिकी), संभाग इंदौर (म.प्र.) को इस आशय से प्रेषित है, की नीलामी की सूचना के प्रकाशन हेतु आपके कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा किया जाए।
5. नोटिस बोर्ड, कार्यालय उप नारकोटिक्स आयुक्त, नीमच।

18/11/2021
(एस. सी. रजवानियाँ)
सहायक नारकोटिक्स आयुक्त,